

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्या - डी.ई.-25(13)/381/एल.डब्ल्यू./2021-22/2345-2346

दिनांक - 01.01.2022

सेवा में,

✓ श्रीमान् उप सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054।

विषय- विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या - 04, दिनांक - 03.01.2022 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या - 04 (100 प्रतियाँ), जो कि दिनांक-03.01.2022 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, का उत्तर सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

भवदीय

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

संख्या - डी.ई.-25(13)/381/एल.डब्ल्यू./2021-22/2345-2346

प्रतिलिपि - निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054 को 150 प्रतियाँ अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

अशोक कुमार
(अशोक कुमार)
उप शिक्षा निदेशक (विधायी कार्य शाखा)
Deputy Director of Education
(L.W Branch)
Directorate of Education
Govt. of NCT of Delhi
Secrariat, Delhi-110054
दिनांक - 01.01.2022

नीरज छतवाल
(नीरज छतवाल)
अनुभाग अधिकारी (विधायी कार्य शाखा)
Section Officer
(L.W. Branch)
Dir. of Education
Sectt., Delhi-110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 04

दिनांक :- 03.01.2022

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री विशेष रवि

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	मेरे द्वारा शिक्षा विभाग को लिखे गए पत्रों क्रमशः दिनांक 08.10.2019 संदर्भ 113582, दिनांक 17.03.2021 संदर्भ 228875, दिनांक 16.02.2021 संदर्भ 118177, दिनांक 11.11.20 संदर्भ 116412, दिनांक 17.03.21 संदर्भ 118868, दिनांक 16.04.21 संदर्भ 119175, दिनांक 19.06.21 संदर्भ 119422, दिनांक 19.08.21 संदर्भ 119879 तथा दिनांक 23.08.21 संदर्भ 119946 पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?	पत्र संख्या - 113582 इस पत्र में माननीय विधायक के सुझाव के अनुपालन में, 11 मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षा निदेशक द्वारा मनोनीत अधिकारियों ने इन विद्यालयों में निरीक्षण किया था तथा वर्ष 2019-20 में हुए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के दाखिलों के विषय में रिपोर्ट जमा कर दी थी। पत्र संख्या - 228875,118177,118868 इन पत्रों में माननीय विधायक ने रामजस स्कूल, आनंद पर्वत तथा जी.डी. सलवान पब्लिक स्कूल द्वारा EWS श्रेणी के कुछ दाखिलों को मना करने का मुद्दा उठाया है। रामजस स्कूल, आनंद पर्वत में वर्ष 2019-20 में EWS वर्ग में 73 छात्रों का आवंटन हुआ था, जिसमें से 73 छात्रों का दाखिला हो गया था। वर्ष 2020-21 में 57 विद्यार्थियों को EWS में आवंटन हुआ था जिसमें से 26 छात्रों को दाखिला हो गया था, 4 छात्रों को दूसरे स्कूल में समायोजित कर दिया गया था तथा 4 छात्रों ने रिपोर्ट नहीं किया था। शेष 23 छात्रों के दाखिले हेतु स्कूल को निर्देशित किया जा चुका है। जी.डी. सलवान पब्लिक स्कूल ने प्री-स्कूल स्तर पर अपनी सीटें 100 से घटाकर 80 करने का प्रार्थना पत्र दिया है। उनका आशय है कि विद्यालय 100 सीटें भर नहीं पा रहा है। इस सम्बन्ध में विभाग के निदेशानुसार, इस विद्यालय में शिक्षा निदेशक द्वारा मनोनीत अधिकारी को विद्यालय के दावे की जांच के लिए भेजा गया। विद्यालय की सीटें घटाने से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया गया और जिला आदेश संख्या 794 दिनांक 01.12.2021 के अंतर्गत विद्यालय को निर्देश दिया गया कि EWS श्रेणी के शेष दाखिले सुनिश्चित करें। पत्र संख्या - 116412 माननीय विधायक के पत्र संख्या 116412 दिनांक 18.11.2020 के संबंध में सूचना प्रेषित है कि दिनांक 09.10.2020 को सर्वोदय कन्या विद्यालय (बा.रा.दे.) की उप प्रधानाचार्य ने श्री ज्ञान सिंह को 'कारण बताओ नोटिस' जारी करके उन्हें विद्यालय परिसर में उनके कब्जे को खाली करने का निदेश दिया। श्री ज्ञान सिंह द्वारा उत्तर ना देने पर पत्रावली संख्या 1742/CD तैयार करके दिनांक 01.12.2020 को कार्यवाही हेतु उसे सतर्कता शाखा भेजा गया। दिनांक 24.02.2021 को इस पत्रावली को सतर्कता शाखा ने क्रम संख्या 1620/JDE (A) के तहत भूमि एवं संपदा शाखा को भेजा है क्योंकि श्री ज्ञान सिंह वहीं कार्यरत हैं। भूमि एवं संपदा शाखा, पत्र संख्या 1251-56 दिनांक 12.07.2021 (संलग्नक 'क') के अनुसार प्राईमरी ब्लॉक एवं सर्वेन्ट क्वार्टर जिसमें कि श्री ज्ञान सिंह रह रहे हैं, के डेमोलिशन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पत्र संख्या - 119175 इस पत्र में माननीय विधायक ने जी.डी. सलवान स्कूल, राजेंद्र नगर द्वारा शुल्क में वृद्धि का विषय रेखांकित किया है।

ASHOK KUMAR
Deputy Director of Education
(LW Branch)
Directorate of Education
Govt. of NCT of Delhi
Old Secretariat, Delhi-110054

		इस संबंध में इस विद्यालय को दिनांक 21.04.2021 को ही बढ़ाया हुआ शुल्क वापिस लौटाने हेतु Advisory जारी की गई थी। इसके उत्तर में, पत्र दिनांक 23.05.2021 के माध्यम से विद्यालय ने बताया कि 2020-21 में उसने फीस नहीं बढ़ाई, किन्तु बढ़ते खर्चों व समाप्त होते संसाधनों के कारण विद्यालय प्रबंधन को शुल्क बढ़ाना पड़ा। विद्यालय के उत्तर से असंतुष्ट जिला कार्यालय ने पत्रावली संख्या 457 दिनांक 13.05.2021 को निदेशालय की पी.एस.बी शाखा में भेजी है। हालांकि याचिका संख्या 7526/2020 में अपने आदेश दिनांक 31.05.2021 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने इस विद्यालय को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य नियमित शुल्क वसूलने की अनुमति दे दी है। पत्र संख्या – 119422 बिंदु संख्या I, VII & IX- माननीय विधायक द्वारा उठाए गए बिंदु I, VII & IX के संबंध में यह निवेदन है कि माता- पिता की सहमति से, पूर्ववर्ती सी.एल. भल्ला दयानंद मॉडल स्कूल के छात्र आसपास के निजी स्कूलों और कुछ राजकीय विद्यालय में दाखिल कराए गए। इस संबंध में कोई शिकायत लंबित नहीं है। बिंदु संख्या II – अधिकांश छात्रों (सामान्य और ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी दोनों) को उनकी पसंद के निजी राजकीय विद्यालयों में दाखिला दिलाया गया है। इस संबंध में कोई शिकायत लंबित नहीं है। बिंदु संख्या III, IV & VIII - स्कूल को मान्यता सक्षम प्राधिकारी (तत्कालीन निदेशक शिक्षा) द्वारा तत्कालीन नीति के अनुरूप प्रदान की गई थी। बिंदु संख्या VI – सी.एल. भल्ला दयानंद मॉडल स्कूल (प्राइवेट स्कूल) से भूमि प्राप्त कर सी.एल. भल्ला डी.ए.वी. (सरकारी अनुदान प्राप्त) को दे दी गई है। पत्र संख्या – 119879 एस.बी.वी., रानी झांसी रोड स्थित विद्यालय में एम.पी. हॉल व अन्य कमरे बनवाने का प्रावधान किया गया है। इसे शिक्षा निदेशालय की तीसरी चरण की योजना में सम्मिलित किया जाता है जिससे कि एक ही बार में सम्पूर्ण विद्यालय के पुनः निर्माण का कार्य किया जा सके। पत्र संख्या – 119946 भूमि एवं संपदा शाखा द्वारा जारी 'कारण बताओ नोटिस' संख्या 1996-2003 दिनांक 09.09.2021 प्रधानाचार्य के माध्यम से श्री ज्ञान सिंह, चपरासी को दिया गया। श्री ज्ञान सिंह का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। इस बीच भूमि एवं संपदा शाखा, पत्र संख्या 1251-56 दिनांक 12.07.2021 (संलग्नक 'क') के अनुसार प्राईमरी ब्लॉक एवं सर्वेक्ट क्वार्टर जिसमें कि श्री ज्ञान सिंह रह रहे हैं, के डेमोलिशन के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
ख)	इन पत्रों पर कार्यवाही में देरी के क्या कारण हैं; तथा	कोरोना महामारी के कारण विद्यालयों/कार्यालयों के कार्य प्रभावित होने के कारण एवं प्रक्रियागत कार्यवाही से संदर्भित है।
ग)	इसके लिए कौन-कौन कर्मचारी जिम्मेदार है?	


ASHOK KUMAR
 Deputy Director of Education
 (LW Branch)
 Directorate of Education
 Govt. of NCT of Delhi
 Old Secretariat, Delhi-110054

संलग्नक क्र.

GNCT OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION
LAND & ESTATE BRANCH

F.16(393)/Estate/2021/

Dated:

To

The Executive Engineer,
Education Maintenance Division,
Central & New Delhi, PWD, GNCTD,
Opposite I.G.I. Stadium, Gate No. 9,
New Delhi-110002

Sub:- Administrative Approval for the Demolition of existing primary block single storey SPS type room with red sand stone roofing, existing Porta cabin and existing servant quarter with rcc roofing, at Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Prasad Nagar (Baba Ramdev) School ID-2128020 under EO zone - 28, Central & New Delhi for the Reserve Price of Rs. 1,78,226/-.

Sir,

I am directed to convey the administrative approval of Competent Authority vide U.O. No. 780/SE dated 28/06/2021 for the demolition of existing primary block single storey SPS type room with red sand stone roofing, existing Porta cabin and existing servant quarter with rcc roofing, at Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Prasad Nagar (Baba Ramdev) School ID-2128020 under EO zone - 28, Central & New Delhi for the Reserve Price of Rs. 1,78,226/- (Rs. One Lakh Seventy Eight Thousand Two Hundred Twenty Six Only) as worked out by Zonal PWD Engineers.

This is for information and further necessary action at your end.

Yours faithfully,

SECTION OFFICER
(LAND & ESTATE)

F.16(393)/Estate/2021/ 1251-56

Dated: 12/7/21

Copy to:-

1. Project Manager (Edu.) Maint. Unit-1, PWD, Ring Road Bypass Below Flyover, Opposite I.G.I. Stadium, Gate No.-9, IP Estate, New Delhi-02.
2. Assistant Engineer-II, Edu (M), (C&ND), PWD, Delhi.
3. Dy. Director of Education (Central & New Delhi), Plot No. 5, Jhandewalan, New Delhi-05.
4. HOS. Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Prasad Nagar (Baba Ramdev), Central & New Delhi.
5. PS to Director, Directorate of Education, Old Secretariat, Delhi-54.
6. OS (IT/Programmer), Old Secretariat, Delhi-54 (With request to upload the same on MIS website).

SECTION OFFICER
(LAND & ESTATE)

HOS
9/28020

Bo
16.7.21

772/HB/C1
12/07/2021

1559/28
15/7/21